न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राम सिंह राजावत(आर.ए.एस.)
जी सी एम एस न0 :–2022/657 दर्ज दिनांक 12.07.2022
मुकदमा नम्बरः– 05/2022 निर्णय दिनांक 14.02.2023

किस्तुरी देवी पुत्री डेडाराम जाति जाट निवासी पावर हाउस कॉलोनी टोडी तहसील गुढागौडजी
अपीलांटस.....

बनाम

1. ग्राम पंचायत टोडी द्वारा संरपच ग्राम पंचायत टोडी तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं
2. श्रीमती मनकोरी देवी पत्नी स्व0 डेडाराम
3. सुल्तान पुत्र स्व0 डेडाराम
4. रामकुमार पुत्र स्व0 डेडाराम
5. नौरंगराम पुत्र स्व0 डेडाराम
6. रूपाराम पुत्र स्व0 डेडाराम
7. मदन पुत्र स्व0 डेडाराम
8. सुनिता पुत्री स्व0 डेडाराम

(2 से 8) समस्त जाति जाट निवासी टोडी तहसील गुढागौडजी`

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत टोडी दिनांक 20.07.2007 नामान्तकरण संख्या 1463 विधि विरूद्ध स्वीकार करने बाबत

निर्णय

दिनांक 14.02.2023

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील विरूद्ध` पेश कर निवेदन किया कि ग्राम टोडी की सरहद में भूमि खसरा न. 525 रकबा 0.06 है0, खसरा न. 526 रकबा 0.063 है0, खसरा न. 527 रकबा 8.00 है0 कुल खसरा 3 का कुल योग 8.06 है0 किस्म बारानी प्रथम वर्गीय डेडाराम पुत्र गणेशा हिस्सा 1/2 दर्ज थी, खसरा न. 934 रकबा 2.12 है0 भूमि स्वर्गीय डेडा पुत्र गणेशा के नाम दर्ज थी तथा खसरा न. 954 रकबा 0.38 है0 भूमि डेडा पुत्र गणेशा के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही थी। उपरोक्त वर्णित खातेदार डेडा पुत्र गणेशा का दिनांक 04.12.2006 को स्वर्गवास हो गया जिसके जायज वारिसान अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 8 है। रेस्पोडेन्टस ने स्वर्गीय डेडा की मृत्यु के बाद विरासतन नामान्तकरण दर्ज कराने के समय डेडाराम के वारिसान की सही सूचना नहीं दी तथा पटवारी हल्का टोडी से मिलकर नामान्तकरण संख्या 1463 दिनांक 03.07.2007 को दर्ज करा कर 20.07.2007 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसके बिना किसी वारिसान की जांच किए विधि विरूद्ध तरीके से उसी रोज उपरोक्त नामान्तकरण स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपील निम्न आधारों पर सेवामें पेश है। नामान्तरकरण संख्या 1463 खातेदार की मृत्यु होने पर उसके वारिसान की जांच की जाकर तस्दीक होना थी परन्तु वारिसान की बिना कोई जांच किए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:59:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

तमाम कानूनी पहलुओं को नजरअंदाज कर उक्त नामान्तकरण विधि विरुद्ध नाजायज रूप से अपीलाण्ट किस्तुरी देवी व रेस्पोडेन्ट सुनिता का नाम छोड़कर स्वीकार किया गया है, उक्त आदेश निरस्त होने लायक है। ग्राम पंचायत ने ना तो मौके पर जाकर कब्जे बाबत् कोई जांच की है तथा ना ही किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट बनाई तथा अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर अथवा नोटिस नहीं दिया बाला बाला गुपचुप तरीके से विधि विरुद्ध नामान्तकरण स्वीकार किया गया, अतः ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त होने योग्य है। अन्त में अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत टोडी का आदेश दिनांक 20.07.2007 बाबत नामान्तकरण संख्या 1463 निरस्त किया जाकर वारिसान की जांच की जाकर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज फरमाने का आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है। अपील अपीलान्ट दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

रेस्पोडेन्ट न0 2 लगायत 8 की तरफ से अधिवक्त उपस्थित तथा सीधे अपील पर बहस हेतु निवेदन किया । रेस्पोडेन्ट न0 1 बावजूद तामिल हाजीर नही अत इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई

बहस अपील श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि अपीलांट डेडाराम की वारिस है। नामान्तकरण में किस्तुरी व सुनिता का नाम रह गया। अपील अंदर मियाद है। दफा 5 स्वीकार है। अतःअपील को स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 1463 दिनांक 20.07.2007 द्वारा संरपच, ग्राम टोडी खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमाया जाये । बहस में रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कि तथा निवेदन किया कि नामान्तकरण के बाद भूमि को दो बार बेचान कर दी या ट्रासफर हो गया तो वह डीड सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। भूमि ट्रांसफर हो गई अब खातेदार बदल गये । अपीलांट डेडाराम की पुत्री होने बाबत कोई देस्तावेज पेश नही है। नामान्तकरण से अधिकार तय नही होते है। सिवील कोर्ट से अधिकार तय करावे । डिक्लेरेशन सिवील कोर्ट से तये करावे। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमायी जावे। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन मे रूलिग पेश की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अपीलांटस ने ऐसा कोई विधिक दस्तावेज पेश नही किया जिससे साबित हो कि अपीलांटस डेडाराम की वारिस है। अपील में प्रश्नगत भूमि अन्य व्यक्तियो के नाम रजिस्ट्रर्ड डीड से ट्रांसफर हो गई। उन सभी ट्रान्सफर डीडस को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अपने हक अधिकारो पर प्रभावहीन घोषित करवाकर ही खातेदारी घोषणा करवाकर अधिकार प्राप्त किये जा सकते है। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने जो रूलिंग पेश कि वे अपील में चस्पा होती है। उक्त विवेचना से अपीलांट की अपील विरूद्व नामांतरकण संख्या 1463 दिनांक 20.07.2007 खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:59:35 IST
Reason: SelfAttested